राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS / अभियान–21 / डीएलबी / 2022 / 3840-4056 दिनांक : 11/04/22

समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
राजस्थान।

विषयः– 'प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021' के दौरान निकायों में निकायों में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोरोना महामारी से बचाव के सुरक्षात्मक उपाय के स्वरूप अभियान के शिविरों के स्थगित होने के कारण निकायों में अभियान के तहत प्राप्त विभिन्न प्रकार के आवेदन / प्रकरण लम्बित है। वर्तमान में कोरोना महामारी पर नियंत्रण किया जाकर स्थिति सामान्य हो गई है, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा अभियान के शिविरों का पुनः 1 मई 2022 से संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नगरीय निकायो में आम नागरिकों द्वारा अब तक प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही स्थानीय स्तर पर लम्बित ले–आउट प्लानों / जोनल प्लानों का नियमानुसार अनुमोदन / निस्तारण करवाये जाने की कार्यवाही दिनांक 20.04.2022 तक आवश्यक रूप से की जावे ताकि राज्य सरकार की मंशा अनुरूप अभियान के आगामी शिविरों में प्राप्त आवेदनों का समय पर निस्तारण किया जाकर आम नागरिकों को अधिकाधिक लाभांवित किया जा सके।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : PSKS / अभियान–21 / डीएलबी / 2022 / 4057-4293 दिनांक : 11/04/22

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, पालना सुनिश्चित कराने हेतु।
06. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद् / पालिका, समस्त राजस्थान।
07. पर्यवेक्षक–अभियान, समस्त संभाग।
08. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
09. रक्षित प्रति।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक